न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 128/16

संस्थित दिनाँक-28.03.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला–भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

राकेश पुत्र कलियानसिंह सिकरवार उम्र 36 साल निवासी डावर का पुरा थाना देवगढ़ जिला मुरैना म0प्र0

.....अभियुक्त

## <u>—ः निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 19.04.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 26.02.16 को करीब दस बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड़ रेस्ट हाउस के सामने छीमका सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0—06 एच0सी0—1423 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी ब्रजेश की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे घोर उपहित कारित की।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 26.02.2016 को फरियादी ब्रजेशसिंह तोमर ग्वालियर से मोटरसाईकिल क0 एम0पी0—30 एम0बी0—6606 से बेयर हाउस गोइद ड्यूटी पर जा रहा था। उसके पीछे मोटरसाईकिल पर जितेन्द्र शर्मा बैठा था, फरियादी मोटरसाईकिल चला रहा था। भिण्ड—ग्वालियर हाईवे पर छीमका रेस्ट हाउस के पास पहुंचे तो पीछे से एक दूध का टैंकर कमांक एम0पी0—06 एच0सी0—1423 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और सुबह करीब दस बजे उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी को दाए घुटने में छिलन, दाए पीठ के बखौरा में छिलन आई, जितेन्द्र शर्मा को चोट नहीं आई। इसके बाद 108 एम्बुलैंस से अस्पताल लाए। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी, चिकित्सीय परीक्षण उपरांत अप0क0—44/16 पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए, वाहन जब्तकर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होकर झूंठा फंसाया जाना बताया।

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.02.16 को करीब दस बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड़ रेस्ट हाउस के सामने छीमका सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0–06 एच0सी0–1423 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी ब्रजेश की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की ? 2.क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी ब्रजेश को कोई चोटें मौजूद थीं ?

3.क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी ब्रजेश की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

5 अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, ब्रजेशसिंह तोमर अ०सा० 2 जितेन्द्र शर्मा अ०सा० 3, राकेश शर्मा अ०सा० 4, रामकरन शर्मा अ०सा० 5, सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

## े/<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 2</u>//

- 6. फरियादी ब्रजेशसिंह तोमर अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 26.02.16 की सुबह लगभग दस बजे की है। वे मोटरसाईकिल से ग्वालियर तरफ से गोहद की तरफ अपनी नौकरी करने बेयर हाउस आ रहे थे। उनके साथ मोटरसाईकिल पर जितेन्द्र शर्मा बैठा था, फरियादी मोटरसाईकिल चला रहा था। छीमका रेस्ट हाउस के पास पहुंचे तभी ट्रक क्मांक एम०पी0—06 एच०सी० 1423 दूध के टेंकर द्वारा पीछे से आकर टक्कर मार देने का कथन करते हैं। टक्कर लगने से फरियादी के गिर जाने पर उसके सीधे पैर पर छिल जाने तथा दाएं कंधे में फेक्चर हो जाने का कथन करते हैं। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कथन करते हैं कि वे घटनास्थल पर करीब 20 मिनिट रूके इसके बाद फोन करके 100 नंबर (पुलिस वाहन) को बुलाकर पहले अस्पताल गए उसके बाद थाने गए। साक्षी अस्पताल में करीब एक घण्टे का समय लगने का कथन करते हैं साथ ही अस्पताल करीबन 12 बजे जाने के संबंध में कथन करते हैं।
- 7. प्रकरण में घटना का साक्षी जितेन्द्र शर्मा अ०सा० 3 हैं जो दिनांक 26.02.16 को सुबह दस बजे फरियादी ब्रजेश के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर आने का कथन करता है। अपने अभिसाक्ष्य में उक्त मोटरसाईकिल को ब्रजेश द्वारा चलाए जाने तथा स्वयं पीछे बैठे होने का कथन करते हैं। छीमका रेस्ट हाउस के पास पहुंचने पर ट्रक क्मांक एम०पी०—06 एच०सी० 1423 दूध के टेंकर द्वारा पीछे से टक्कर मार देने का कथन करते है। साक्षी यह बताता है कि इसके बाद उसने 108 (एम्बुलैंस) तथा 100 नंबर (पुलिस वाहन) को फोन लगाया जिससे घटनास्थल पर एम्बुलैंस और पुलिस आ गयी थी। इस प्रकार से यह साक्षी दुर्घटना में फरियादी ब्रजेश तोमर को दाए हाथ के कंधे, दाए पैर व छाती में चोट आने का कथन करते हुए उक्त चोटें दुर्घटनाजनित होने की पुष्टि करता है।

- 8. सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 6 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 26.02.16 को थाना गोहद चोराहा पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्हें सूचना मिली कि भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर रेस्ट हाउस के सामने ग्राम छीमका पर दुर्घटना हो गयी है, जिसकी सूचना से घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला तब वह गोहद अस्पताल गया था जहां आहत ब्रजेश मिला। आहत के बताए अनुसार देहाती नालिसी प्रपी0 3 लेख किए जाने व उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। ब्रजेशसिंह अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में देहाती नालिसी प्र0पी0 3 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से फरियादी ब्रजेशसिंह के कथनों की पुष्टि प्र0पी0 3 के दस्तावेज व उसके लेखक सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 6 के अभिसाक्ष्य के माध्यम से हो रही है।
- 9. डा0 आलोक शर्मा अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 26.02.16 को वे सी०एच०सी० गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक मूलचंद द्वारा लाए जाने पर आहत ब्रजेश को चिकित्सीय परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाई
  - 1-दाएं घुटने पर 4 गुणा 3 सेमी० का छिला हुआ घाव;
  - 2-दाएं कंधे पर 7 गुणा 4 सेमी0 छिले का घाव, जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गयी;
  - 3-माथे पर दांयी तरफ 2 गुणा 1.8 सेमी0 का नील का निशान।

आहत पाई गयी चोटों के संबंध में चिकित्सक अपना अभिमत देते हैं कि उक्त चोटें कठोर व भौथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी, चोट क0 2 की प्रकृति एक्सरे के आधार पर निश्चित की जा सकती थी, शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी। आहत के परीक्षण रिपोर्ट को प्र0पी0 1 के रूप में बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

10. डा0 आलोक शर्मा अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उसी दिनांक अर्थात 26.02.16 को उन्होंने उक्त आहत का एक्सरे परीक्षण किया था जिसमें बखा (कंधे के पिछला भाग) में अस्थिमंग होना पाया था, एक्सरे रिपोर्ट को प्रपी० 2 के रूप में प्रदर्शित कर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। फरियादी ब्रजेश तोमर अ०सा० 2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में उसके दाहिने कंधे में फेक्चर हो जाने का कथन किया है। जितेन्द्र अ०सा० 3 ने भी आहत को दाएं कंधे में चोट आने के संबंध में समर्थन किया है। आहत ब्रजेश को आई चोट का समर्थन मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अविलंब लेख की गयी देहाती नालिसी प्र०पी० 3, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रणी० 1 तथा एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रपी० 2 के माध्यम से भी की गयी है।

प्रकरण में आहत ब्रजेश अ०सा० 2 ने उसे दुर्घटना में चोट कारित होने का कथन किया है जिसकी संपुष्टि जितेन्द्र अ०सा० ३ ने भी की है। देहातीनालिसी लेखक सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० ६ ने घटना दिनांक को घटना के तुरंत पश्चात् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में फरियादी के बताए अनुसार देहाती नालिसी लेखबद्ध किए जाने का कथन किया है। उक्त साक्ष्य में आहत ब्रजेश को आई चोट दुर्घटना में कारित होने के संबंध में तथ्य प्रकट किए गए हैं। प्र0पी0 1 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के निष्पादक डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 द्वारा घटना दिनांक को प्रपी० 1 की रिपोर्ट के अनुसार आहत का चिकित्सीय परीक्षण दिन के 11:40 बजे किया गया है। उनके द्वारा आहत को पाई गयी चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से कारित होने के संबंध में अपनी राय दी है। दुर्घटना में कारित चोटें प्रायः कठोर व भौथरी वस्तु से कारित होने के समान होती हैं। साथ ही अभियुक्त की ओर से फरियादी ब्रजेश को कारित चोटें दुर्घटना में कारित होने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है, बल्कि मोटरसाईकिल फिसलने से चोट आने का सुझाव दिया गया है और लगभग इसी प्रकार का सुझाव डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 को प्रतिपरीक्षण में दिया है। इस प्रकार से उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर यह अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 26.02.16 को समय लगभग सुबह 10 बजे आहत ब्रजेशसिंह तोमर के शरीर पर चोटें मौजूद थी, जिनमें से एक चोट दाएं कंधे के पिछले भाग में अस्थिभंग के रूप में मौजूद थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या आहत ब्रजेश को कारित चोट अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन के चालन कर दुर्घटना में कारित की गयी ?

## //विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 3//

12. फरियादी ब्रजेशसिंह अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि जब उनकी मोटरसाईकिल छीमका रेस्ट हाउस के पास पहुंची तभी ट्रक क्रमांक एम०पी०—06 एच०सी0—1423 दूध के टेंकर ने पीछे से आकर टक्कर मार दी थी। यह भी कथन करता है कि उक्त ट्रक बहुत तेज गति व लापरवाही से चलकर पीछे से आ रहा था और यह बताता है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मौके से भाग गया था। साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि छीमका रेस्ट हाउस के पास पहुंचे थे तभी उक्त ट्रक एम०पी०—06 एच०सी0—1423 दूध के टेंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। यह भी कथन करता है कि अभिकथित ट्रक बहुत तेज गति व लापरवाही से पीछे से आ रहा था जिसने उनकी मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मार दी। साक्षी यह भी कथन करता है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त वही है जिसने घटना कारित की थी। इस प्रकार से आहत ब्रजेश अ०सा० 2 तथा चक्षुदर्शी साक्षी अ०सा० 3 के द्वारा अभियुक्त के अभिकथित ट्रक एम०पी०—06 एच०सी0—1423 को अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाही अर्थात उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में कथन किया गया है।

- 13. फरियादी ब्रजेश अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि इसके बाद घटनास्थल के पास देहाती नालिसी लेख की गयी थी जिसे प्र0पी० 3 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। घटना स्थल का नक्शामौका प्र0पी० 4 बताकर उस पर भी ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्षी कण्डिका 3 में यह कथन करता है कि उसने अपनी मोटरसाईकिल को रोड की सफेद पट्टी के अंदर कर लिया था। साक्षी कण्डिका 2 में बताता है कि वह मोटरसाईकिल को करीब 40 किलोमीटर प्रतिघण्टे की स्पीड से चला रहा था। साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में कण्डिका 2 में बताते हैं कि घटना के समय मोटरसाईकिल करीब 20—25 की स्पीड से थी जबिक अभिकथित टेंकर की गति 60—70 की थी। साक्षी यह भी बताता है कि उसने टेंकर पीछे से 10 फीट की दूरी से देख लिया था। जब साक्षी से पूछा गया कि मोटरसाईकिल चलाते समय आगे देखते हैं तो साक्षी का कहना हैं कि वह पुडिया थूक रहा था इसलिए देख लिया था। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि स्वयं अभियुक्त की ओर से सुझाव दिया गया कि उनकी मोटरसाईकिल में जोर से टक्कर मार दी जिससे वह मोटरसाईकिल से उचककर दूर गिर गया था तो साक्षी ने उस सुझाव को स्वीकार किया है। अभियुक्त की ओर से दिया गया उक्त सुझाव अभिकथित दुर्घटना के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन करता है।
- 14. जितेन्द्र अ0सा0 3 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने घटना के समय चालक को नहीं पहचान पाया था स्वतः कथन करते हैं कि जब चालक ने टेंकर रोककर नीचे उतरा तब उसे घटनास्थल पर देख लिया था। इस प्रकार से साक्षी का कथन अभिकथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता का समर्थन करता है। साक्षी के अभिकथन पर अविश्वास का कोई भी युक्तियुक्त आधार नहीं हैं। ब्रजेश अ0सा0 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में घटना दिनांक को ही टेंकर चालक को पहचान लेने का कथन किया है। साक्षी यह भी बताता है कि उसने टेंकर चालक को चेहरे से पहचान लिया था, उसका नाम नहीं जानता था। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी ने चेहरे से पहचानने वाली बात अपनी देहाती नालिसी या रिपोर्ट में नहीं लिखाई है जबिक साक्षी उक्त बात रिपोर्ट में लिखाए जाने का कथन करता है और साथ ही पुलिस कथन प्रठडी0—1 में भी लिखाए जाने का कथन करता है। यहां तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब कोई व्यक्ति दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को देख ले तो उसका नाम जानता हो यह तभी संभव है जबिक वह पहले से उक्त चालक को जानता हो, परंतु आहत ब्रजेश अ0सा0 2 एवं जितेन्द्र अ0सा0 3 अभियुक्त को पहले से नहीं जानते थे ऐसे में नाम से परिचित होने की संभावना उत्पन्न नहीं होती है।
- 15. सुरेशदत्त अ०सा० 6 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उनके द्वारा फरियादी के बताए अनुसार देहाती नालिसी लेख की गयी थी जिस पर वे बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर

प्रमाणित करते हैं। साक्षी दिनांक 27.02.16 को अभिकथित टेंकर को थाने पर प्रस्तुत करने पर उसे जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 9 तैयार किए जाने का कथन करते हैं। रामकरन शर्मा अ0सा0 5 दिनांक 27.02.16 को ही उक्त वाहन टेंकर की जांच करने पर क्लीनर साईड में बंफर, मडगार्ड के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि करते हैं। फरियादी ब्रजेश अ0सा0 2 के अनुसार उक्त टेंकर द्वारा पीछे से उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गयी थी। मैकेनिकल जांच कर्ता रामकरन अ0सा0 5 द्वारा जब्तशुदा टेंकर के क्लीनर साईड के बंफर, मडगार्ड के क्षतिग्रस्त होने का तथ्य फरियादी के अभिकथन का समर्थन करता है कि कथित टेंकर से दुर्घटना कारित होने पर क्लीनर साईड क्षतिग्रस्त होना संभव है।

प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि राकेश शर्मा अ०सा० 4 16. वाहन के पंजीकृत स्वामी हैं, उनके द्वारा घटना में लिप्त कथित टेंकर एम0पी0-06 एच0सी0-1423 के चालक के रूप में घटना दिनांक को अभियुक्त का होना अस्वीकार किया है। अभियोजन साक्षी राकेश अ०सा० ४ जो कि वाहन के पंजीकृत स्वामी है। सर्वप्रथम तो घटना दिनांक को उक्त वाहन पर मौजूद थे अथवा घटनास्थल पर मौजूद थे इस संबंध में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। जहां तक साक्षी के द्वारा अभिकथित घटना के समय टेंकर के चालक अभियुक्त के न होने का तथ्य का कथन हैं तो इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यद्यपि घटना के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन अक्षरशः नहीं किया है किन्तु इसके बावजूद भी पक्षद्रोही साक्ष्य के संबंध में सुस्थापित विधि है कि उसकी अभिसाक्ष्य का प्रयोग जितना अभियोजन के मामले का समर्थन किया जाता है, उतने विस्तार तक हो सकता है। न्यायदृष्टांत खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरूद्ध म०प्र० राज्य ए०आई०आर०–1991 एस०सी०–1853 में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत कि किसी साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने से उसकी संपूर्ण साक्ष्य वाश आउट नहीं हो जाती है। न्यायदृष्टांत सिद्धार्थ उर्फ मनु शर्मा विरुद्ध राज्य एन0सी0टी0 दिल्ली (2010) 6 एस0सी0 सी0 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य में न्यायालय उस विस्तार तक भरोसा कर सकता है जितने तक उक्त साक्षी ने अभियोजन का समर्थन किया हो और ऐसी अभिसाक्ष्य अन्य साक्ष्य से संपृष्ट होती हो। साक्षी द्वारा प्रमाणीकरण प्र0पी0 5 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। इसके अतिरिक्त नोटिस धारा 133 मोटरयान अधिनियम प्र0पी0 6 पर भी ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। ऐसे में इस साक्षी के अभिसाक्ष्य का अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं किन्तु उसके द्वारा अपने हस्ताक्षर स्वीकार करना अभियोजन दस्तावेजों की ALL ST सत्यता का समर्थन हैं।

- 17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 279, 338 का आरोप प्रमाणित है कि उसने दिनांक 26.02.16 को करीब दस बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड़ रेस्ट हाउस के सामने छीमका सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0—06 एच0सी0—1423 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी ब्रजेश की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की।
- 18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।
- 19. वर्तमान में सार्वजनिक मार्गो पर उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक वाहन चलाए जाने से तेजी से दुर्घटनाएं बड़ रही हैं। घटना में आहत को चोटें कारित हुई हैं। ऐसी दशा में प्रकरण में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।
- 20. अभियुक्त नवयुवक है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त के मजदूरी करके उसके परिवार का भरणपोषण किए जाने के संबंध में आधार दर्शित किया है। प्रकरण के निराकरण में कोई सारवान विलंब कारित नहीं हुआ है। अभियुक्त निरंतर उपस्थित रहा है। अतः उसे शिक्षाप्रद दण्ड से दिण्डत किया जाना न्याय के उददेश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 338 का अपराध संहिता की धारा 71 के प्रकाश में एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में होने से प्रथक प्रथक दण्ड से दिण्डत किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः उक्त प्रावधान के प्रकाश में संहिता की धारा 338 के अधीन अभियुक्त को 6 माह के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है के उक्त अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।
- 21. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई हो तो वह दी गयी सजा से मुजरा की जावे। इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।
- 22. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

कर घोषित किया गया ।

सही/-

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश